राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8999/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
2.	8255/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
3.	9095/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
4.	8591/2021	1(a)	पत्थर खदान	पुनरीक्षित ईआईए	Delisted
5.	9139/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
6.	9096/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
7.	8873/2021	7(da)	कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट	पुनरीक्षित ईआईए	Delisted
8.	9061/2021	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
9.	9140/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	6400/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
11.	6113/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
12.	2811/2015	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
13.	7245/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 का कार्यवाही विवरण

1. प्रकरण क्र. 8999/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी– भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला – मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर –8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला– मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 517वी बैठक दिनांक 08.04.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 2380 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं होना उल्लेखित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार अन्य खदान परिलक्षित है एवं क्रेशर भी स्थापित है। इस कारण आवेदित प्रकरण बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी का है, यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण कमांक 8255/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरूण खरे, निवासी–इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 24519 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम श्रीनगर, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 518वी बैठक दिनांक 12.04.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*".....उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार 01 अन्य खदान (देवेन्द्र जैन) के साथ प्रस्तावित खदान की **Overlapping** एवं खदान में अवैध उत्खनन होना परिलक्षित हो रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जिला खनिज अधिकारी से प्रस्तावित खदान की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।"*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.06.2022 अनुसार Overlapping एवं अवैध उत्खनन के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाख) टीकमगढ़ का पत्र क्र. 3637 दिनांक 20.06.2022 प्रस्तुत किया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह पाया कि उक्त खदान क्लस्टर समूह में होने के कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में है इसलिये प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्लस्टर के प्रबंधन की योजना का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाना चाहिये।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर इन्वायरमेन्टर मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. में सम्मिलित नहीं है अतः 15 दिवस के अंदर SEIAA में प्रस्तुत करें, जिसमें इसे कैसे लागू किया जायेगा इसका का भी विस्तृत विवरण का समावेश करें। तदोउरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा तथा वाछित जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 9095/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाहिद स्टान क्रेशर, प्रो. श्री शाहिद अली, निवासी वार्ड न. 03 कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.004 हेक्टेयर, खसरा 52/568, 52/569, ग्राम बसखला, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा 722वी बैठक दिनांक **07.05.2022** मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

".....SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 532 दिनांक 29.03.2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान लीज क्षेत्र में नीम, सलाई, पलाश, शीशम, प्रजाति के 35 पेड है जिनमे से 07 पेड़ स्वीकृत क्षेत्र के 7.5 मीटर बेरीअर जोन क्षेत्र में है जिन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा एवं 28 पेड खदान के खनन योग्य क्षेत्र में है, जिनमे से 07 पेड़ों को अनुमति मिलने के उपरांत उखाड़ा जावेगा एवं प्रत्येक उखाड़े गये पेड़ के एवज में 10 गुना उन्ही प्रजातियों के 70 अतिरिक्त पेड़ रोपित किये जायेंगे।

अतः प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचारविमर्श उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में मौजूदा जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजना स्थानवार अक्षांश देशांश सहित तैयार कर सिआ कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरन्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाता है। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्ययोजना में चयनित स्थलवार एवं प्रजातियों की विस्तृत जानकारी का समावेश कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रकरण को **Relist** किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. प्रकरण क्र. 8591/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम ग्रेनाईट, हाउस नम्बर 01 दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 410 पार्ट, ग्राम – चुरयारी, तहसील–गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 724वी बैठक दिनांक 17.05.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"..... अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत ई.आई.ए. में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार समाधान कारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये पाये जाने के कारण खनन् क्षेत्र की एक माह की बेस लाईन पर्यावरणीय मॉनिटरिंग पुनः करें तथा उपरोक्तानुसार तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें ।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 568वी बैठक दिनांक 30.04.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से 15 दिवस में SEAC द्वारा वांछित पुनरीक्षित ईआईए रिपोर्ट प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण कमांक 9139/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञ जाट आत्मज श्री कैलाश जाट, निवासी 107 /1 त्रिमूर्तिनगर, तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 968 पैकी रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम करेली तहसील सरदारपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 727वी बैठक दिनांक 26.05.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

".....SEAC की अनुशंसा एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान के पूर्व दिशा मे 100 मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने तथा खनन क्षेत्र एवं उसके आस– पास के क्षेत्र में वाटर शेड कार्यक्रम के दृष्टिगत कंटूर ट्रेंच निर्मित होना परिलक्षित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही पर्यावरणीय संवेदनशीलता – औद्योगिक क्षेत्र बावत् एवं वाटर शेड कार्यक्रम हेतु निर्मित कंटूर ट्रेंच को देखते हुए कलेक्टर धार से वास्तविक स्थिति एवं स्पष्ट अभिमत कि ऐसी स्थिति में क्या खदान का संचालन किया जाना उचित होगा अथवा नहीं 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं स्वीकृत खनन क्षेत्र में पूर्व से निर्मित जल संरचनाओं के संरक्षण के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण कमांक 9096/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अंकुश शिवहरे आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे, निवासी मकान न. 02, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 38/4, 38/8, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम धवाई, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 564वी बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज अधिकारी के एकल प्रमाण पत्र क्र. 109 दिनांक 18.01.2022 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अंतरण पूर्व धारा–165 (MPLRC) के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नही की गई है, इस कारण उत्खनिपट्टा दिये जाने पर सहरिया आदिवासी भूमिहीन हो जायेंगे एवं प्रकरण में यह भी स्पष्ट नही किया गया कि उक्त भूमि पर खनन् से सहरिया आदिवासियों के श्रम के अतिरिक्त आर्थिक हित के लिये क्या प्रावधान है ।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से प्रस्तावित खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिला कलेक्टर के स्पष्ट अभिमत प्राप्त ना होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **Case No 8873/2021:** Prior Environment Clearance for Proposed Common Bio-Medical Waste Treatment Facility Total Area – 4100 Sq.mt. (1.07 Acre) • 1 No. Incinerator of capacity 100 kg/hr (Dry) • 1 No. Autoclaving of capacity 250 kg/hr • 1 No. Shredding of capacity 100 kg/hr each • ETP Capacity –5 KLD ha., at Plot No. -84, P & H in Lahgadua Industrial Area, DistrictChhindwara (MP) by M/s ECO MED Solutions, Shop No. 2, Kheri Road, Sector-98, DIst. Faridabad, Haryana - 121002

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 721वी बैठक दिनांक 06.05.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" In context of above, it is decided that PP should submit revised EIA report by incorporating all the issues as raised by SEAC. EIA consultant firm M/s Amaltas Enviro

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Industrial Consultants LLP, New Delhi is also instructed to not repeat this type of mistake in future.

Further it was observed by the authority that this type of issue could have been resolved by SEAC only itself by raising ADS to avoid delay in dispose of the case.'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **Case No. - 9061/2022:** Environment Clearance for Aulliya Medium IrrigationProject at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha by Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, (MP).

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 726वी बैठक दिनांक 25.05.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

'.....Both sides heard by Authority and it is decided that PP should submit the point – wise reply incorporating all the issues raised by NBA, and villagers in the SEIAA office within 10 days.'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को **Delist** किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण कमांक 9140/2022 – परियोजना प्रस्तावक शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री पवन कुमार राय आत्मज श्री किशोरी लाल राय, निवासी– बस स्टेण्ड के पास तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,802 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 930, रकबा 1.550 हेक्टेयर, ग्राम बूढ़ाखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण मे सिया की 727वी बैठक दिनांक 26.05.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

'.....उक्त प्रकरण में श्री कालूराम, निवासी– बूड़ाखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर द्वारा SEIAA कार्यालय में दिनांक 17.05.2022 को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उत्खनन से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं जंगली जानवरों का आवागमन बाधित होगा तथा उक्त जमीन पर पूर्व मे आदिवासी पट्टा स्वीकृत था जिसपर अवैध कब्जा किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायत पत्र के संबंध में कलेक्टर सागर से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर से ई–मे दिनांक 14.06.2022 के माध्यम से उक्त शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र क्र. 1096 दिनांक 14.06.2022 प्रस्तुत किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 571वी बैठक दिनांक 12.05.2022 की गई** अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित खदान अनिवार्यतः नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधो की प्रजातियां	पौधों की संख्या
बैरियर जोन	नीम, खमेर, काला सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	840
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदंब एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	560
ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बुढ़ढाखेड़ा)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	कुल	1900

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बूढ़ाखेरा के शासकीय प्राथमिक शाला में 20 बेन्च एवं 05 कुर्सियां उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम भर्राना के शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र 01 ईसीजी मशीन उपलब्ध कराई जाये एवं 04 फोल्डेबल व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री पवन कुमार राय आत्मज श्री किशोरी लाल राय, निवासी– बस स्टेण्ड के पास तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,802 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 930, रकबा 1.550 हेक्टेयर, ग्राम बूढ़ाखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर का पत्र क. 410 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.02.2032 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 6400/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*" .....राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह द्वारा मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर के नाम जारी अनापत्ति के संबंध में श्री सुरजीत सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित न किये जाने का लेख किया गया है। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक को **SEIAA** की आगामी बैठक में दी गई अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"*

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने हेतु अनापत्ति पत्र क्र. 10866 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा प्राप्त हुई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि खनिज अधिकारी एवं पूर्व परियोजना प्रस्तावक आगामी SEIAA बैठक में अनापत्ति के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करें।

11. प्रकरण क्र. 6113/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मलखान सिंह निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50844 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.25 हेक्टेयर, खसरा 4174, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म. प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*" .....राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री मलखान सिंह द्वारा मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर के नाम जारी अनापत्ति के संबंध में श्री मलखान सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित न किये जाने का लेख किया गया है। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक को **SEIAA** की आगामी बैठक में दी गई अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"*

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने हेतु अनापत्ति पत्र क्र. 10867 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि खनिज अधिकारी एवं पूर्व परियोजना प्रस्तावक आगामी SEIAA बैठक में अनापत्ति के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करें।

12. प्रकरण क्र. 2811/2015: परियोजना प्रस्तावक श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 435/1/1/1/1/ख, ग्राम बडसलाय, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड़, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म. प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 07.04.2017 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 04 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण में विलम्ब के कारण के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिला खनिज अधिकारी से लीज हस्तांतरण दिनांक से आज दिनांक तक नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त 10 दिवस में प्राप्त करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायउपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 17.06. 2022 के माध्यम से प्रस्तुत शपथ पत्र में बिलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण दिया गया है यद्धपि यह स्पष्ट नहीं है कि लीज हस्तांतरण के उपरांत नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है। अतः खनिज अधिकारी बड़वानी से उक्त संबंध में 15 दिवस की अवधि में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 7245/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तनिषा इन्फ्राकॉन प्रा.लि., पता डी–64, शालीग्राम –1 नियर सरोन पार्क, सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)–380015 द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 18.33 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 81,770 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1331, 1339, 1340, ग्राम – तरनोद तहसील–सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 726वी बैठक दिनांक 25.05.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .....परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून के दृष्टिगत शासकीय विद्यालय तरनोद मे 120 पौधे रोपित कर एवं ग्राम पंचायत तरनोद में ग्रामवासियों को 7500 पौधों का वितरण वन विभाग के परामर्श से किये जाने तथा ग्राम पंचायत के परामर्श से वैकल्पिक मार्ग निर्मित कर 1 माह के अंदर प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "

उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासकीय विद्यालय तरनोद में 15 दिवस की अवधि में 120 पौधे रोपित कर मय छायाचित्र अक्षांश देशांश सहित जानकारी प्रस्तुत करें। तदोउपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष